कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 09 / 2024–25 / 613 दिनांकः 28 जुलाई, 2026

फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) श्रम विभाग परीक्षा– 2024

राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के रिक्त 62 पदों पर पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में से अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 09 / 2024–25 / 738, **दिनांकः 19 नवम्बर, 2025** के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के रिक्त **62** पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या– **उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 09 / 2024–25 / 398**, दिनांक **15 मई 2026** द्वारा फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के रिक्त **62** पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण अनुक्रमांकवार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया तथा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– **उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 09 / 2024–25 / 427**, दिनांक– **01 जून 2026** द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी।

02– जारी विज्ञापन में पदों की संख्याा के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों (श्रेणीवार डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए) को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 15 तथा 16 जून 2026 को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) पद हेतु वांछित अर्हता धारित न करने एवं वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण तथा अभिलेख सत्यापन में बिना कोई सूचना दिये अनुपस्थित रहने के कारण अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 09 / 2024–25 / 525, दिनांक 30 जून 2026 द्वारा जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी अनर्हता / अभ्युक्ति / अनुपस्थिति के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 01 जुलाई 2026 से 04 जुलाई 2026 सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था।

03– उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय इस पत्र के साथ संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित किया जा रहा है।

संलग्नक– यथोपरि।

ह0 / –
(प्रदीप जोशी)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

फार्मासिस्ट (एलोपैथी) परीक्षा– 2024 के अन्तर्गत अभिलेख सत्यापन उपरान्त अंकित अभ्युक्ति के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण

क्रम संख्या	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति	प्रत्यावेदन निस्तारण
1	3250243532	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा अभिलेख सत्यापन दिवस में प्रस्तुत उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 18 नवम्बर 2024 तक नवीनीकृत नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 07 में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ''अभ्यर्थी के पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।'' **अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिनांक 27 नवम्बर 2018 को पंजीकृत उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र जो कि पांच साल हेतु वैध है तथा नवीनीकृत नहीं कराया गया है प्रस्तुत किया गया है। साथ ही फार्मसिस्ट पंजीकरण कार्ड जो कि दिनांक 18 मार्च 2019 को निर्गत किया गया है एवं वैधता दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक की है, प्रस्तुत किया गया है।** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा अभिलेख सत्यापन दिवस में प्रस्तुत उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 18 नवम्बर 2024 तक नवीनीकृत नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 07 में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ''अभ्यर्थी के पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।'' **अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**

फार्मासिस्ट (एलोपैथी) परीक्षा– 2024 के अन्तर्गत अभिलेख सत्यापन उपरान्त अंकित अभ्युक्ति के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण

क्रम संख्या	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति	प्रत्यावेदन निस्तारण
2	3250244559	**अनर्ह–** अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 5 में उल्लिखित है कि – अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो'' **चूंकि अभ्यर्थी फार्मेसी डिप्लोमाधारक नहीं है अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में भारत सरकार तथा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर जारी किये गए आदेश प्रस्तुत किये गये हैं। प्रयनगत पद हेतु विभाग द्वारा प्रेषित नियमावली में शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि '' अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो'' **चूंकि अभ्यर्थी फार्मेसी डिप्लोमाधारक नहीं है अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**
3	3250246430	**अनर्ह–** अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 15 जून 2026 को बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित रहे है। **अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह– अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**
4	3250245192	**अनर्ह–** अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 5 में उल्लिखित है कि – अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो'' **चूंकि अभ्यर्थी फार्मेसी डिप्लोमाधारक नहीं है अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह– अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**

फार्मासिस्ट (एलोपैथी) परीक्षा– 2024 के अन्तर्गत अभिलेख सत्यापन उपरान्त अंकित अभ्युक्ति के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण

क्रम संख्या	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति	प्रत्यावेदन निस्तारण
5	3250246798	**अनर्ह–** अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 16 जून 2026 को बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित रहे है। **अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह– अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**
6	3250241971	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का वैध/अंतिम तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। **अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**	अभ्यर्थी द्वारा अभ्युक्ति के सापेक्ष कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।